न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I, (RAS)**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– **209/2023 GCMS 2023/536**

प्रार्थी:–

1. नीरसिंह पुत्र डालसिंह जाति राजपूत निवासी कुकनवाली तहसील कुचामन सिटी

अप्रार्थीगण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी
2. पटवारी हल्का ग्राम पंचायत कुकनवाली तहसील कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री भवानी सिंह चावण्डिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओरं
राजपैराकार तहसीलदार कुचामन सिटी

–:निर्णय :–

दिनांकः– 12/05/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामन सिटी का निवासी है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम नीर सिंह पुत्र डाल सिंह है एवं प्रार्थी का यही नाम उसके आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पेंशन वार्षिक सत्यापन, पहचान पत्र, पेनकार्ड, विद्युत बिल, बैंक डायरी, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, आदि दस्तावेज में प्रार्थी का यही नाम व पता दर्ज है। जो सही एवं सत्य है। प्रार्थी की कब्जेशुदा, खातेदारीशुदा कृषि भूमि मौजा ग्राम ओमपुरा के खसरा नंबर 720, 721, 722, 773, 774 कुल खसरा 5 में भूमि क्षेत्रफल 10.9400 है. की आयी हुई है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1545/22974 है. का आया हुआ है। जिसमें प्रार्थी का नाम नरेंद्र सिंह पुत्र डालसिंह लिखा हुआ है। जो काबिल संशोधन योग्य है नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। ग्राम ओमपुरा के खसरा नंबर 720, 721, 722, 773, 774 में स्थित अपने हिस्सा 1545/22974 में अंकित अपने नाम नरेंद्र सिंह पुत्र डालसिंह में संशोधन करवाकर अपना नाम प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित संलग्न दस्तावेजात के आधार पर अपना सही एवं वास्तविक नाम नीरसिंह पुत्र डालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन दर्ज करवाने जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमा के समक्ष पेश किया है। राज. सरकार के प्रतिनिधि अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार कुचामन सिटी होने से राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करने के अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:36:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उनहें प्राप्त है इसलिए अप्रार्थी सं. 1 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत कुकनवाली में पटवार हल्का के रूप में पटवरी नियुक्त है। जो कि अप्रार्थी सं. 1 के अधीनस्थ कर्मचारी है इसलिए अप्रार्थी सं. 2 को पक्षकार बनाया गया है। मौजा ग्राम ओमपुरा के खसरा नंबर 720, 721, 722, 773, 774 में स्थित प्रार्थी के हक हिस्सा 1545/22974 है. भूमि आयी हुयी है जिसमें अंकित नाम नरेंद्र सिंह पुत्र श्री डालसिंह के स्थान पर प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम नीरसिंह पुत्र डालसिंह दर्ज फरमाया जाने के आदेश पारित फरमाया जावें। आदेश की तहरीर अप्रार्थी सं. 1 के नाम जारी कर दिये जाने के बाद उक्त आदेश की तहरीर अप्रार्थी सं. 1 अपने अधीनस्थ कर्मचारी अप्रार्थी सं. 2 पटवार हल्का कुकनवाली को जारी फरमाकर राजस्व रेकर्ड में अंकित नाम में संशोधन प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम जैसा कि पैरा सं. 1 में बताया गया है उपरोक्तनुसार दर्ज फरमाया जाने की इस्तदुआ दी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व राजपैरोकार ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में कब व किस राजस्व संक्रिया के दौरान अशुद्ध दर्ज हुआ है के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे साबित हो कि प्रार्थीगण का नाम पूर्व के राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज था। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ....12/05/[illegible].... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:36:06 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)